NIC

दिनांक 23.01.2019 को जिला सभागार गोपेश्वर में जिलाधिकारी महोदया चमोली की अध्यक्षता में टिमरसैंण महादेव नीति के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

उपस्थिति विवरण–

1–श्री मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी, चमोली	मो0नं0–7060198794.
2–श्री डी0पी0 जोशी, प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली	मो0नं0–9675829014.
3–डॉ0 दिनेश चौहान, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	मो0नं0–9012747900.
4–श्री बृजेन्द्र पाण्डेय, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली	मो0नं0–9792376998.
5–श्री हीरा लाल, सहायक स्वागती पर्यटन कार्यालय जोशीमठ	मो0नं0–8057811165.
6–मेजर पी0सी0 कुमार, बी0आर0ओ0 जोशीमठ	मो0नं0–7060181202.
7–श्री अरविन्द्र कुमार, बी0आर0ओ0 जोशीमठ	मो0नं0–7085099942.
8–मेजर अमित चतुर्वेदी, बी0आर0ओ0 जोशीमठ	मो0नं0–7798992690.
9–श्री धीरेन्द्र सिंह गरोड़िया, स्थानीय जन प्रतिनिधि नीति	मो0नं0–7895221204.
10–श्री खीम सिंह खाती, स्थानीय जन प्रतिनिधि नीति	
11–श्री रघुवीर सिंह बिष्ट, स्थानीय जन प्रतिनिधि नीति	

सर्वप्रथम जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर–चमोली द्वारा जनपद चमोली के जोशीमठ तहसील क्षेत्रान्तर्गत टिमरसैंण महादेव नीति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया चमोली से बैठक शुभारम्भ करने की अनुमति उपरान्त बैठक प्रारम्भ की कार्यवाही की गयी–

बैठक में स्थानीय लोगो द्वारा अवगत कराया गया कि टिमरसैंण महादेव नीति की यात्रा इस वर्ष 10 फरवरी 2019 से 04 मार्च 2019 तक करायी जानी प्रस्तावित है।

बैठक में निम्न प्रकार चर्चा/निर्णय लिया गया है–

1–बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली को निर्देश दिये गये कि टिमरसैंण महादेव नीति की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/पर्यटकों हेतु एक आवेदन फार्म तैयार कर सहायक पर्यटक कार्यालय जोशीमठ में उपलब्ध करायें। यात्रा पर जाने वाले यात्री/पर्यटक यात्रा तिथि से 02 दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर सहायक पर्यटक कार्यालय जोशीमठ से आवेदन फार्म प्राप्त कर पूर्ण भरकर जमा कर अपना पंजीकरण करायेंगे। पंजीकरण उपरान्त सहायक पर्यटक कार्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या दी जायेगी व पंजीकरण संख्या देने के उपरान्त आवेदन पत्र की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी तदोपरान्त आवेदक अपना स्वास्थ्य परीक्षण करायेगा व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा। सहायक पर्यटक कार्यालय जोशीमठ द्वारा पंजीकरण संख्या अंकित कर उक्त पूर्ण भरे आवेदन पत्र की एक प्रति इनर लाईन परमिशन हेतु उप जिलाधिकारी कार्यालय जोशीमठ को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त उप जिलाधिकारी जोशीमठ इनर लाईन परमिशन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर यात्रियों/पर्यटको को यात्रा पर जाने हेतु एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) पर इनर लाईन परमिशन जारी करेंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी उक्त आवेदन फार्म की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को जनपद चमोली की एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर भी अपलोड किये जाने हेतु उपलब्ध करायेंगे व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली उक्त आवेदन फार्म को जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाइट पर अपलोड कर दृष्य करेंगे।

कार्यवाही–जि0पर्य0वि0अधि0चमोली/उप जिलाधिकारी जोशीमठ/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली।

2–**स्वास्थ्य विभाग**–बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी चमोली द्वारा अवगत कराया गया टिमरसैंण महादेव नीति की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/पर्यटको का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें यात्रियों/पर्यटकों की सूगर, बी0पी0 एवं हृदय सम्बन्धी जॉच करायी जायेगी, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/पर्यटकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सहायक पर्यटक कार्यालय जोशीमठ/नगर पालिका परिषद जोशीमठ के हाल में अलग से एक चिकित्सक की तैनाती की जाये यदि किसी यात्री/पर्यटक की अन्य

जॉच करानी पड़े जो सुविधा वहॉ पर उपलब्ध न हो उन जॉचों हेतु आवेदक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ में भेजा जाय व बाम्पा/गमशाली स्वास्थ्य केन्द्र में यात्रियों/पर्यटको की सुविधा हेतु यात्रा के दौरान एक फार्मेसिस्ट एवं वार्ड ब्वाय आवश्यक इवाईयों व उपकरणों सहित तैनात किया जाय। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि 05 सिग्मा मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया है, कि यदि उक्त क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होते है, जिसमें मेडिकल सम्बन्धी आवश्यकता पड़ती है, तो हम अपनी स्वास्थ्य टीम तैनात कर सकते है, जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त स्वास्थ्य टीम से सम्पर्क कर यदि वो गमशाली/बाम्पा में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाते है, तो यथाशीघ्र सूचना से अवगत कराये।

कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली।

3–**खाद्य एवं पूर्ति विभाग**–बैठक में स्थानीय लोगो द्वारा यात्रा से पूर्व उक्त क्षेत्र में राशन की उपलब्धता हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा वहॉ के लोगो के राशन कोटे के आधार पर राशन की मांग की जायेगी तो राशन यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी, तथा अवगत कराया गया कि मिट्‌टी तेल और चीनी उपलब्ध करायी जानी सम्भव नहीं हो पायेगी, जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी चमोली को निर्देश दिये गये कि ग्राम प्रधान या सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता से मिट्‌टी तेल, चीनी तथा अति आवश्यक सामग्री की मांग प्रस्ताव उपलब्ध करा कर मांग प्रस्ताव जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला पर्यटन विकास अधिकारी उक्त मांग प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु पर्यटन मुख्यालय देहरादून प्रेषित करेंगे।

कार्यवाही–जि0पर्य0वि0अधि0चमोली/जिला पूर्ति अधिकारी चमोली।

4–**सड़क व्यवस्था**–बैठक में सड़क व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा हेतु बी0आर0ओ0 यात्रा से पूर्व तथा यात्रा के दौरान जोशीमठ से नीति तक सड़क को सुचारू रखेगें तथा सड़क पर उपलब्ध बर्फ को हटाने के लिए आवश्यक मशीने लगायेंगे।

कार्यवाही–कमाण्डर 21–बी0आर0टी0एफ0 मारवाड़ी जोशीमठ।

5–**आर्मी**–बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा हेतु आर्मी मलारी से आगे कानवाई सेवा उपलब्ध करायेगी साथ ही आर्मी से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा भी की गयी है।

कार्यवाही–(9) स्वतन्त्र पर्वतीय ब्रिगेड समूह, जोशीमठ।

6–**विद्युत व्यवस्था**–बैठक में स्थानीय लोगो द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा नीति क्षेत्र की विद्युत लाईन विच्छेदित की गयी है, यात्रा के दौरान विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा यात्रा के दौरान नीति क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश विद्युत विभाग को दिये गये।

कार्यवाही–अधि0अभि0 विद्युत विभाग, कोठियालसैंण (गोपेश्वर)।

7–बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 06 फरवरी 2019 को आर्मी, आई0टी0बी0पी0, बी0आर0ओ0, उप जिलाधिकारी जोशीमठ, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग एवं वन विभाग जोशीमठ एवं स्थानीय लोग जोशीमठ से नीति तक का एक संयुक्त सर्वे करेंगे तथा संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट उसी दिन जिलाधिकारी कार्यालय चमोली को उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही– आर्मी/आई0टी0बी0पी0/बी0आर0ओ0/उप जिलाधिकारी जोशीमठ/ स्वास्थ्य विभाग/पर्यटन विभाग/वन विभाग जोशीमठ/ग्राम प्रधान नीति/बाम्पा/गमशाली।

8–बैठक में निर्णय लिया गया कि नीति सड़क मार्ग से आगे का जो पैदल मार्ग टिमरसैंण महादेव यात्रा हेतु जाता है, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ उस रास्ते की मरम्मत एवं साफ सफाई व्यवस्था करेंगे।

कार्यवाही– प्र0वना0न0राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ।

9–बैठक में निर्णय लिया गया कि एक दिन में 25 यात्रियों/पर्यटकों को यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कार्यवाही– जि0पर्य0वि0अधि0चमोली/उप जिलाधिकारी जोशीमठ।

10–बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान बी0आर0ओ0/वन विभाग सुराईठोटा में बैरियर से आगे किसी भी यात्री/पर्यटकों/स्थानीय लोगो की बाइक, कार या बिना अनुमति वाली किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने देगें।

कार्यवाही– कमाण्डर 21–बी0आर0टी0एफ0 मारवाड़ी जोशीमठ/ प्र0वना0न0राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ।

11–बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस अधीक्षक चमोली गमशाली/बाम्पा में यात्रा के दौरान एस0डी0आर0एफ0 की टीम यात्रियों/पर्यटको की सुविधा हेतु तैनात करेंगे।

कार्यवाही– पुलिस अधिक्षक चमोली/उप जिलाधिकारी जोशीमठ।

12–बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय लोग जो यात्रा से पूर्व तथा यात्रा के दौरान नीति/गमशाली/बाम्पा में व्यवस्थाओं हेतु जाना चाहते है, ग्राम प्रधान नीति/गमशाली/बाम्पा उन लोगो की सूची नाम पता, मोबाईल नम्बर सिफ्टवार या जैसा भी हो तैयार कर उप जिलाधिकारी जोशीमठ को उपलब्ध कराकर इनर लाईन अनुमति लेकर ही जायेंगे।

कार्यवाही–ग्राम प्रधान नीति/गमशाली/बाम्पा/उप जिलाधिकारी जोशीमठ।

13–बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से ऊपर व 60 वर्ष से कम उम्र वाले यात्रियों/पर्यटको को ही यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कार्यवाही–उप जिलाधिकारी जोशीमठ/जि0पर्य0वि0अधिकारी चमोली।

अन्त में जिलाधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये निर्देशानुसार समसय समस्त कार्यो पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

ह0/–
(स्वाति एस. भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या–837/टिमरसैंण नीति यात्रा/2018–19 दिनांक–24 जनवरी 2019

प्रतिलिपि–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून।
2– ब्रिगेडियर, (9) स्वतन्त्र ब्रिगेड समूह, जोशीमठ।
3– कमाण्डर 21–बी0आर0टी0एफ0 मारवाड़ी, जोशीमठ।
4– प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली।
6– उप जिलाधिकारी, जोशीमठ।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर–चमोली।
8– सर्व सम्बन्धित अधिकारीगण उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी,
चमोली।